संख्या-75/2016/2422 ई-2/तेरह-2016-35/2013टी0सी0

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 08 दिसम्बर,2016

विषय:-मे0 आर0एम0 हेरिटेज एण्ड होटल्स प्रा0लि0 के द क्रिस्टल होटल 111/7ए हर्ष नगर बेनाझाबर कानपुर नगर को एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन को सम्बोधित एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पृष्ठांकित अपने पत्र संख्या-654/बैठक कार्यवृत्त/बार समिति/16-17/ का0न0, दिनांक 30 सितम्बर,2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में जिला बार समिति की बैठक दि0 28-9-2016 में की गई संस्तुति एवं इसी संदर्भ में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-148/दस-लाइसेंस-26/खण्ड-4/एफ0एल06-7/ बार अनु0/कानपुर नगर, दिनांक 02 नवम्बर,2016 में की गई संस्तुति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री संजय खत्री पुत्र श्री अर्जुन दास खत्री, नि0-म0नं0-7/84, तिलकचनगर, कानपुर नगर के नाम मे0 आर0एम0 हेरिटेज एण्ड होटल्स प्रा0लि0 के द क्रिस्टल होटल 111/7ए हर्ष नगर बेनाझाबर कानपुर नगर को वर्ष 2016-17 के लिये एफ0एल0-6(समिश्र) बार अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने की अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि नियमानुसार वांछित औपचारिकतायें पूर्ण होने पर ही अनुज्ञापन निर्गत किया जायेगा।

कृपया तद्नुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-75/2016/2422(1) ई-2/तेरह-2016, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या-जी-148/दस-लाइसेंस-26/खण्ड-4/एफ0एल0 6-7/बार अनु0/कानपुरनगर, दिनांक 02 नवम्बर,2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।